संख्या-28/2015/क0नि0-4-937/11-15-300(1)/2012

प्रेषक,

गीता मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 19 जून, 2015

विषय:- वाणिज्य कर के अधिकारियों को तरंग योजना के अन्तर्गत मोबाइल सिम, लैण्डलाइन फोन, ब्राड बैण्ड कनैक्शन व डाटा कार्ड पर होने वाले व्यय को वहने करने हेतु अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी-4-नजारत-टेलीफोन-तरंग योजना/मोबाइल सिम/764/वाणिज्य कर, दिनांक 04 जून, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत बजट हेतु शासनादेश संख्या : 23/2015/क0नि0-4-657/11-2015-300(24)/2014, दिनांक 8-04-2015 के द्वारा मानक मद-13 टेलीफोन पर व्यय मे प्राविधानित धनराशि रूपये 05.00 करोड़ (रू0 पाच करोड़ मात्र) विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर अवमुक्त की गयी है। उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि में से रूपया 1,48,70,846.00 (रू0 एक करोड़ अड़तालिस लाख सत्तर हजार आठ सौ छियालीस मात्र) की धनराशि को बी0एस0एन0एल0 को अग्रिम के रूप में भुगतान हेतु आहरित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन दिये जाने की सहमति प्रदान करते हैं:-

(1) [redacted] शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15/(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1-(1)/69, दिनांक 10.6.2011 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या: क0नि0-4-1527/11-2013-300(24)/2014, दिनांक 16-12-2013 में उलिलखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत अग्रिम का समायोजन भी दिनांक 31.3.2016 तक अनिवार्य रूप से किया जाना अपरिहार्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-89 के लेखा शीर्ष "2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-13-टेलीफोन पर व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ए-1-190/दस-2015, दिनांक-19 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
गीता मिश्रा
विशेष सचिव।

संख्या-28/2015/क0नि0-4-937 (1) /11-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।